माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्र. /14 सीलिंग

1 विक्रमसिंह पिता ओंकारसिंह, आयु–70 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील–सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र.

2. बनेसिंह पिता ओकारसिंह, आयु–65 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील–सांवेर, जिला इंदौर, म.प्र.

.....याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर, इंदौर, म.प्र. .....रेस्पोडेंट

विषय :– याचिका अंतर्गत अनुच्छेद मध्यप्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट। धारा 23 व धारा 51 M.P.L.R.C.

माननीय महोदय,

याचिका/प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

याचिकाकर्तागण की और से निम्नलिखित आवेदन पत्र/याचिका सादर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक M 1328–पीबीआर/2014 जिला इंदौर

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

30–4–2014

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह प्रकरण म.प्र. कृषि जोत खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23 एवं म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 8 के अंतर्गत इस न्यायालय को स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं । अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है । संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान है, इस प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति भी नहीं है । संहिता की धारा 8 अधीक्षण शक्तियों से संबंधित है, और इस धारा के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के किसी आदेश अथवा कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है । अतः यह प्रकरण प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष